

BGL/SEC/NSE/3/JUNE 2019-2020

BGL/SEC/BSE/2/ JUNE 2019-2020

June 26, 2019

The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Ltd
"Exchange Plaza", 5th Floor,
Plot No. C-1, G - Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400051

The Manager (Listing)
BSE Limited
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building
PJ Towers, Dalal Street
Fort, Mumbai – 400001

SYMBOL: BHARATGEAR

STOCKCODE: 505688

Sub: Published Notice for Loss of Share Certificate(s)

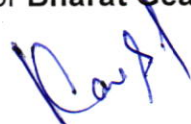
Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015 ("the Regulations"), please find enclosed herewith copy of the notice for loss of Share Certificate(s) published by the Company in the newspaper i.e. "Hari Bhoomi" (Hindi) on 26th June, 2019.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Bharat Gears Limited**


Kaushal Narula
Manager (Secretarial)



Encl: As above

अब कंकर-पत्थर से नहीं खेलेंगे मजदूरों के बच्चे, बनेंगे ‘उत्कृष्ट’

हरिभूमि न्यूज़ ►► इंदौर

दूसरे बच्चों के लिए वे दिनभर मेहनत कर रहे हैं। एक-एक ईंट चुनकर शिक्षा का मंदिर बना रहे हैं लेकिन उनके खुद के बच्चे ही शिक्षा के उस द्वार के बाहर खड़े हैं। सोमवार को जब पूरे प्रदेश में प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा था तब उत्कृष्ट विद्यालय में इन बच्चों को प्रवेश दिया गया। अब दूसरे बच्चों के लिए शिक्षा का मंदिर गढ़ने वाले इन मजदूरों के बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ेंगे। शिक्षा विभाग में यह अपने आप में एक नई पहल है। उत्कृष्ट विद्यालय बाल विनय मंदिर में हॉस्टल का निर्माण चल रहा है। काम की तलाश में सौनकच्छ से आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर परिवार इंदौर आकर इस परिसर में बस गए हैं। जब तक काम चलेगा, ये परिवार यहीं रहेंगे। गांव से बाहर जाने के कारण इनके बच्चों का स्कूल छूट गया है। गर्मी की छुट्टियों के बाद जब सोमवार को उत्कृष्ट विद्यालय खुला तो परिसर में छात्रों की चहलकदमी बढ़ी। असम्बली में कतारबद्ध खड़े बच्चों को बाहर खड़े मजदूरों के बच्चे निहार रहे थे। उन बच्चों के चेहरों पर उठते भाव और आंखों में उमड़ते सवाल से साफ था कि वे जानना चाहते थे कि ईंट-गारा से हटकर ये कौन सी जगह है, जहां आकर इतना खुश हुआ जा सकता है।

सोमवार को प्रवेशोत्सव के दौरान उत्कृष्ट विद्यालय में दिया गया प्रवेश

मीडिया के हस्तक्षेप के बाद तैयार हुआ स्कूल प्रबंधन

उन्हें देखकर जब मीडिया द्वारा यह सवाल उठाया गया कि प्रवेशोत्सव में ये बच्चे प्रवेश क्यों नहीं पा सकते हैं? स्कूल प्रबंधन ने तुरंत इस पर गौर किया। इसके बाद स्कूल चले हम्म अभियान का हिस्सा बनकर इन्हें स्कूल में प्रवेश देने की कहा गया। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग के आला अफसर व उत्कृष्ट बाल विनय मंदिर स्कूल का प्रबंधन भी तैयार हुआ। अब ये बच्चे इस स्कूल में पढ़ पाएंगे। अनौसा ने पांचवीं तो रवि ने आठवीं के बाद छोड़ दी पढ़ाई : राज्य शासन के स्कूल चले हम्म अभियान के बावजूद दूसरे शहरों से इंदौर में मजदूरी के लिए आए कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं।



पिता के साथ आने से पढ़ाई छूट गई

इंदौर में काम की तलाश में हर साल हजारों की संख्या में मजदूर अपने परिवारों के साथ में आते हैं। कई लोगों का तो एक ठौर ठिकाना नहीं होता, इस वजह से उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में भी नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसी ही कहानी सौनकच्छ के मजदूर परिवारों के बच्चों की है। इनमें रवि भील सौनकच्छ में आठवीं तक तो पढ़ा, लेकिन पिता के साथ मजदूरी करने के लिए इंदौर आया तो पढ़ाई छूट गई। इसी तरह अनौसा भी पांचवीं तक पढ़ी, लेकिन परिवार के साथ इंदौर आने से पिछले एक साल से स्कूल नहीं जा पा रही है।

बच्चों को दिलाएंगे प्रवेश

विद्यालय परिसर में बने रहे छात्रावास में काम करने वाले मजदूरों के एक दर्जन से ज्यादा बच्चों को इन हमारे स्कूल में प्रवेश दिलाएंगे और उनकी शिक्षा का इंतजाम कराएंगे। जो बच्चे नियमित प्रवेश नहीं ले सकते हैं, उन्हें औपनि स्कूल व प्राइवेट फॉर्मल भेराएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि ये बच्चे भी स्कूल में पढ़ सकें।

विनया शर्मा, प्राचार्य
उत्कृष्ट बाल विनय मंदिर स्कूल

बच्ची ने टोल फ्री नंबर पर फोन कर चाइल्ड हेल्पलाइन को दी सूचना

झाड़-फूंक के नाम पर बेटी को रिश्तेदार को थमाया, खुद की समझदारी से बची

हरिभूमि न्यूज़ ►► खरगोन

स्वस्थ बेटी को बीमार बताकर झाड़-फूंक और इलाज के नाम पर पिता ने अपने एक रिश्तेदार को थमा दिया। लगभग चार दिन तक वह रिश्तेदार के साथ भटकती रही। उसने पांचवें दिन चाइल्ड हेल्प लाइन को सूचना दी और सुरक्षित निकल आई।

मामले में बेटी के पिता की ही भूमिका बिचौलिए के रूप में नजर आ रही है। मंगलवार को चाइल्ड हेल्प लाइन (चाइल्ड वेलफेयर कमेटी) ने मामले का पर्दाफाश किया। प्रक्रिया के तहत इस बच्ची को सुख्या में बुरहानपुर जिले के रतनगढ़ गांव भेजा गया। समिति का कहना है कि यह पूरा मामला बुरहानपुर का है इसलिए पुलिस कार्रवाई भी इसी जिले से होगी।

मुझे बचाओ कहा और काट दिया था कॉल

बेटी के पिता की ही भूमिका बिचौलिए के रूप में नजर आ रही है, चाइल्ड हेल्प लाइन ने मामले का पर्दाफाश किया



मंगलवार को चाइल्ड हेल्प लाइन (सीडब्ल्यूसी) के थान सिंह ने बताया कि सोमवार शाम 15 वर्षीय रूपाली (परिवर्तित नाम) ने टोल फ्री नंबर 1098 पर कॉल किया। उसने कहा- मुझे बचाओ और कॉल कट कर दिया। सूचना मिलते ही वे किशोरी के पास पहुंचे। वह शिकारबेड़ी गांव में एक परिवार में थी। यहां परिजन ने बताया कि उसके पिता व मामा ने उसे इलाज के लिए हमें सौंपा। उन्होंने यहां तक कहा कि लड़की का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। रूपाली ने बताया कि परिवार उसकी बुआ का है। वह कभी यहां नहीं आई और पूरी तरह स्वस्थ है। उसने सीडब्ल्यूसी को बयान दिए कि उसके पिता और मामा खंडवा जिले के पंधाना ले गए। वहां पिता और इस परिवार के बीच झगड़ों में बात हुई। बहुत अधिक खुलकर बात नहीं की। इसके बाद चार दिन पहले यह परिवार उसे शिकारबेड़ी ले आया। उसे आशंका है कि शादी के नाम पर उसे बेचा जा रहा था।

संवेदनशील है मामला

चाइल्ड हेल्प लाइन समन्वयक शैलाल सोलंकी ने बताया कि प्रकरण संवेदनशील है। इसे सीडब्ल्यूसी में लाया गया। उधर सीडब्ल्यूसी की अक्षता जोशी व वर्षा परसाई ने बताया कि रूपाली का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। रिपोर्ट के साथ उसे सुरक्षित शिकारबेड़ी गांव भेजा गया। इस मामले में सूचना देने के बाद मंगलवार दोपहर बाद पिता को बुलाया। पिता ने बेटी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की बात कहकर आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि वातावरण बदलने के लिए उन्होंने इस परिवार को बच्ची को सौंपा था। समिति में अध्यक्ष अक्षता जोशी के अतिरिक्त वर्षा परसाई, सुष्मा परसाई व सीमा जोशी शामिल हैं।

काउंसिलिंग की गई

पीड़िता की शिकायत पर उसकी काउंसिलिंग की गई। पिता और बेटी के बयानों में कुछ जगह विरोधाभास नजर आया। पूरा मामला बुरहानपुर जिले का होने के कारण प्रकरण और किशोरी को सीडब्ल्यूसी बुरहानपुर केंद्र भेजा गया है।

अथता जोशी, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, खरगोन

लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई...

10 हजार की रिश्तत लेते उपयंत्री गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज़ ►► डिंडौरी

समनापुर जनपद पंचायत अतरिया क्षेत्र में पदस्थ उपयंत्री राजाराम पटेल को मंगलवार को लोकायुक्त पुलिस ने रिश्तत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। जानकारी के अनुसार फरियादी अमर सिंह पिता अमरू सिंह धुवे निवासी अतरिया ने लोकायुक्त पुलिस से शिकायत की थी कि उपयंत्री रंगमंच के अंतिम मूल्यांकन के एवज में दस हजार

रुपए की मांग कर रहा था, शिकायत पर जाल बिछाकर लोकयुक्त पुलिस ने फरियादी को भेजा। राजाराम पटेल रिश्तत की राशि 10000 रुपए लेते हुए अपने घर में लोकायुक्त पुलिस के हथौड़े चढ़ गया। इस दौरान डीएसपी दिलीप धरवाड़े, निरीक्षक आंसकर

किनडो, सब इंस्पेक्टर नरेश बहरा, आरक्षक अतुल श्रीवास्तव, जुबेद खान व राकेश विश्वकर्मा ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

कुएं के मलबे में दबे युवक को 32 घंटे तक अभियान चलाकर बाहर निकाला

हरिभूमि न्यूज़ ►► पांडुरा

ग्राम मालेगांव से 1 किलोमीटर दूर खेत में कुआं ढहने उसमें युवक दब गया था। इस युवक को 32 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की मदद से सही सलामत कुएं के बाहर निकाल लिया गया। मिला जानकारी के मुताबिक ग्राम मालेगांव निवासी सुभाष रामनाथ पराड़कर अपने कुएं को खोद रहा था तभी अचानक कुआं ढह गया। इसके बाद हलचल मची तो ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी खबर दी। बाद में तहसीलदार की उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग की टीम, नगर पालिका और पुलिस बल की ओर से संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ग्रामीणों और एनडीआरएफ की संयुक्त मदद से युवक को निकाल लिया गया। डॉक्टरों की टीम ने युवक का परीक्षण कर उसे प्राथमिक उपचार के लिए नागपुर रेफर करने की सलाह दी। रेस्क्यू ऑपरेशन के समय



बार-बार कुएं का मलबा गिर रहा था इससे बचाव अभियान में परेशानी आई। करीब 5 से 6 घंटे तक एनडीआरएफ की टीम ने काफी मशकत की। बारिश का मौसम होने से भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्रेन मशीन के सहारे युवक को ऊपर खींचा गया।

कर्मचारियों को मिलेगा 10 रुपए में भरपेट खाना

मिलाई इस्पात संयंत्र देगा संसद और जेल से भी सस्ता खाना, 46 कैदीनों का हुआ ठेका

हरिभूमि न्यूज़ ►► भिलाई

संसद और जेल से भी सस्ता खाना भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को नसीब होगा। महज 10 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। एचएमटी चावल और अरहर की दाल के साथ सब्जी दी जाएगी। संसद भवन की कैटीन में 35 रुपए थाली और कैदियों को 42 रुपए में खाना परोसा जाता है। इससे सस्ती दर पर भिलाई इस्पात संयंत्र अपनी कर्मचारियों को शाकाहारी भोजन परोसेगा। 10 रुपए थाली कोई भी कर्मचारी खाना खा सकता है। भिलाई इस्पात संयंत्र की 46 कैटीनों का ठेका सोमवार को कर दिया गया। विर्स ऑक्शन के जरिए तीन ठेका एजेंसियों ने करीब 31 प्रतिशत बिलो रेट पर ठेका लिया है।



क्वालिटी पर नियंत्रण करना टेढ़ी खीर

बीएसपी की कैटीन में खाद्य पदार्थों की क्वालिटी को लेकर हर बार सवाल उठते रहे हैं। मेन्यू की आड़ में खाने की क्वालिटी खराब होने का मुद्दा हर बार उठता रहा। 46 कैटीनों का हाल बेहाल रहता है। नियमित और ठेका श्रमिकों की सुविधा के लिए 7 रुपए में खाना 26 जून तक खिलाया जाएगा, क्योंकि पुराना ठेका जारी है। 27 जून से नए रेट पर खाना परोसा जाएगा।

तय खाद्य पदार्थ के अलावा अन्य पदार्थों की बिक्री पर रहेगी रोक

इस बार के ठेका पर नियमों को काफ़ी सख्त किया गया है। तय खाद्य पदार्थों के अलावा किसी अन्य पदार्थों की बिक्री पर रोक रहेगी। मनमाना कोई रेट नहीं लिया जा सकेगा। रेट लिस्ट वर्या करना होगा। 2016 के टेंडर में 40 प्रतिशत बिलो रेट पर ठेका हुआ था। इस बार 31 प्रतिशत बिलो रेट पर ठेका दिया गया है। ठेका लेने वालों में डीसी सिंह फर्न, राजा केटरर्स और प्रिंसा केटरर्स हैं। बता दें कि सात जून से पहले ठेका हो जाना चाहिए था। 20 दिन बाद सोमवार को विर्स ऑक्शन हुआ।

मेन्यू में बिरयानी और मटन नहीं

भिलाई इस्पात संयंत्र के कैटीन का ठेका तीन साल के लिए हुआ है। खास यह है कि हर साल दस प्रतिशत रेट बढ़ता था। लेकिन अब यह नहीं बढ़ाया जाएगा। पिछले बार के टेंडर के तहत सात रुपए का खाना तय किया गया था। ठेकेदार को नुकसानों से बचाने के लिए स्पेशल आइटम बेचने की छूट दी गई थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। जानकारी के अनुसार बिरयानी सहित मांसाहारी आइटम कैटीन में नहीं परोसे जाएंगे। कोई भी स्पेशल आइटम नहीं बिकेगा। कर्मचारियों को अब तक मोटा चावल खाने को मिलता था। इस बार एचएमटी चावल ही परोसा जाएगा। अरहर की दाल, बांडेड तेल, बांडेड चाय पत्ती इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा 4.5 प्रतिशत फेट का दूध इस्तेमाल करना होगा। एक लीटर दूध में एक ही लीटर पानी मिलाना है। इससे ज्यादा पानी नहीं मिला सकते।

पहले ही दिन कक्षा में पहुंचे मजदूरों के ये बच्चे

उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में यहां के छात्रों के लिए 100-100 सीट का बालक व बालिका छात्रावास तैयार हो रहा है। इसका निर्माण तीन माह पहले ही शुरू हुआ है। इस कार्य में सौनकच्छ के आधा दर्जन परिवारों के सदस्य मजदूरों में लगे हुए हैं। इस वजह से इनके बच्चे विद्यालय परिसर में अस्थायी झोपड़ों में रह रहे हैं। इस इमारत को तैयार होने में एक साल से ज्यादा समय लगेगा, ऐसे में मजदूरों के बच्चे सालभर तो यहां के सरकारी स्कूल में पढ़ सकेंगे। मीडिया की पहल पर उत्कृष्ट विद्यालय की प्राचार्य विनया शर्मा व मिडिल स्कूल की प्रमारी निर्मला मीज इन बच्चों के पास पहुंचीं। उन्होंने उनके नाम, उम्र व किस कक्षा तक पढ़े हैं, यह जानकारी नोट की। छुट्टियों के बाद सोमवार को स्कूल खुले।

BHARAT GEARS LIMITED
Regd. Office & Works: 20 K.M. Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Fardabad-121003 (Haryana)
Tel.: +91 (129) 4288888
Fax: +91 (129) 428882-23
E-mail: info@bglindia.com
Website: www.bharatgears.com
CIN: L29130HR1971PLC034365

NOTICE
Notice is hereby given that the Share Certificate no(s). 13915 bearing distinctive no(s). 1210701-1210750 standing in the name of Arvind Ramchandra Padwal Jt: Sharad Ramchandra Padwal Desai have been reported lost/misplaced.
The Company shall proceed to issue duplicate share certificate(s), if no objection is received within 15 days from the date of publication of this notice.
For Bharat Gears Limited
5d/-
Prashant Khattray
Head (Legal) &
Date: 25.06.2019 Company Secretary

इंदौर के विश्वप्रसिद्ध श्री खजराना गणेश मंदिर में स्थापित

इच्छापूर्ति कछुआ

जिसके दर्शन पूजन मात्र से देश विदेश के करोड़ों भक्तों की सभी इच्छायें-मनोकामनायें पूर्ण होती हैं। शुभ मंगलदायी “स्वास्तिक चंद्र” और “रत्न” जड़ी अष्टधातु से बनी स्वर्णपॉलिस युक्त मंत्र-सिद्ध “इच्छापूर्ति कछुआ अंगूठी” पहनने से आपकी भी सभी समस्यायें दूर होकर, सभी इच्छायें और मनोकामनायें पूर्ण हो सकती हैं।

मनीबैंक गारंटी के साथ मूल्य -1260/-

वैदिक-01147385151 / 99

पहचान की अपील

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक अज्ञात मृत व्यक्ति जिसकी उम्र: लगभग 52 वर्ष कद: 5'7", चेहरा: गोल, रंग: सांवला, शरीर: सामान्य, जिसने आसमानी नीले रंग की पैंट पहनी है। जो कि 07.06.2019 सुभाष नगर तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे फुटपाथ पर नजफगढ़ रोड मिडिल डिवाइडर पर मृत पाया गया। मृत शरीर को डीडीयू अस्पताल, हरी नगर, दिल्ली के शवगृह में सुरक्षित रखा गया है। इस संदर्भ में **FIR/DD No. 83A दिनांक: 07.06.2019** थाना तिलक नगर, दिल्ली में दर्ज है।

इस मृत व्यक्ति के बारे में किसी भी व्यक्ति को कोई भी जानकारी/सुराग मिले तो अधोहस्ताक्षरित एवं निम्नलिखित नम्बरों पर सूचित करने की कृपा करें।

थानाध्यक्ष
थाना: तिलक नगर, दिल्ली
फोन. नं. 011-25407800, 25409290
मोब.: 8750871130
DP/8310/WD/19

गुमशुदा/अपहृत की तलाश

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम पायल गुप्ता पुत्री दिनेश साहू निवासी WZ-251 बराई दारापुर, मोती नगर, दिल्ली जो थाना मायापुरी, दिल्ली एरिया से दिनांक 05.06.2019 से लापता/अपहृत है। इस बाबत **FIR No. 250/19, U/s 363 IPC** थाना मोती नगर, दिल्ली में दर्ज है। इस लड़की का शारीरिक ब्यौर इस प्रकार है:

उम्र : 15 वर्ष, रंग : गेँहुआ, कद : 5' 4", चेहरा: गोल, शरीर : मध्यम, पहनावा : काले रंग की टी-शर्ट और गीले रंग की जीन्स और चप्पल पहने हैं। अगर किसी व्यक्ति को इस लड़की के बारे में कोई जानकारी मिले तो थानाध्यक्ष मोती नगर, दिल्ली को निम्नलिखित नं. व ई-मेल : cic@cbi.gov.in और वेबसाइट: <http://cbi.nic.in> पर सूचित करें।

फ़ोन : **011-24368638, 24368641**
फैक्स नं.: **011-24368639**
हस्ता/ थानाध्यक्ष
थाना : मोती नगर, दिल्ली
फोन : **011-25101150**
DP/8303/WD/19

पंजाब नैशनल बैंक **punjab national bank**
...मरसे का प्रतीक!
बीओ : चन्देर नगर, गाजियाबाद
कब्जा सूचना [नियम 8 (1)]

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्याभूति हित (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रत्याभूति हित अधिनियम, 2002 (यहां इसके पर्याय "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के प्रवर्तन और वित्तीय परिसमर्थियों के प्रत्याभूतिकरण और पुनर्निर्माण के तहत पंजाब नैशनल बैंक, बीओ : चन्देर नगर, गाजियाबाद का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते दिनांक 06.08.2018 को कर्जदार श्री सुनील कुमार पुत्र श्री दीवान चंद (अकाउंट नं. **144300NC00167416**) का उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत उक्त सूचना को प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के अंदर पूर्ण भुगतान तक उस पर आगे के ब्याज सहित सूचना में वर्णित राशि रु. 27,61,029/- (रुपये सताईस लाख इकसठ हजार उनतीस केवल) (30.06.2018 तक ब्याज समेत) पुनर्भुगतान करने का आह्वान किया।

कर्जदार राशि का पुनर्भुगतान करने में विफल रहे हैं। कर्जदार/गारंटर / गिरवीकर्ता एवं सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने 21 जून 2019 को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है।

कर्जदार/गारंटर / गिरवीकर्ता को विशेषतः और सर्व साधारण को एतद् द्वारा सम्पत्ति से डील न करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त सम्पत्ति के साथ किसी भी प्रकार की डीलिंग पूर्ण भुगतान तक उस पर आगे के ब्याज सहित राशि रु. 27,61,029/- (रुपये सताईस लाख इकसठ हजार उनतीस केवल) (30.06.2018 तक ब्याज समेत) हेतु पंजाब नैशनल बैंक की प्रवृत्ति के अधीन होगी।

अचल सम्पत्ति (यों) का वर्णन : ईएम : फ्लैट नं. एफएफ-2, प्रथम तल, प्लॉट नं. 192, मोहल्ला ईस्ट ईस्टमाइल खान, तुषाब नगर, गाजियाबाद (यूपी.)
दिनांक : 21.06.2019, स्थान : गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक **punjab national bank**
...मरसे का प्रतीक!
बीओ : चन्देर नगर, गाजियाबाद
कब्जा सूचना [नियम 8 (1)]

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्याभूति हित (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रत्याभूति हित अधिनियम, 2002 (यहां इसके पर्याय "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के प्रवर्तन और वित्तीय परिसमर्थियों के प्रत्याभूतिकरण और पुनर्निर्माण के तहत पंजाब नैशनल बैंक, बीओ : चन्देर नगर, गाजियाबाद का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते दिनांक 02.07.2018 को कर्जदार श्री ह्री ओम सिंह पुत्र अतर सिंह और श्रीमती सीमा चौधरी पत्नी श्री अतर सिंह (अकाउंट नं. **144300NC00167045**) का उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत उक्त सूचना को प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के अंदर पूर्ण भुगतान तक उस पर आगे के ब्याज सहित सूचना में वर्णित राशि रु. 53,73,752.93/- (रुपये तारुन लाख तिरतर हजार सात सौ बावन और पैसे तिरानवे केवल) (30.06.2018 तक ब्याज समेत) पुनर्भुगतान करने का आह्वान किया।

कर्जदार राशि का पुनर्भुगतान करने में विफल रहे हैं। कर्जदार/गारंटर / गिरवीकर्ता एवं सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने 21 जून 2019 को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है।

कर्जदार/गारंटर / गिरवीकर्ता को विशेषतः और सर्व साधारण को एतद् द्वारा सम्पत्ति से डील न करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त सम्पत्ति के साथ किसी भी प्रकार की डीलिंग पूर्ण भुगतान तक उस पर आगे के ब्याज सहित राशि रु. 53,73,752.93/- (रुपये तारुन लाख तिरतर हजार सात सौ बावन और पैसे तिरानवे केवल) (30.06.2018 तक ब्याज समेत) हेतु पंजाब नैशनल बैंक को वसुली के अधीन होगी।

अचल सम्पत्ति (यों) का वर्णन : ईएम : म.नं. एच-255, गोविन्दपुरम्, गाजियाबाद, यूपी.
दिनांक : 21.06.2019, स्थान : गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक